

an>

Title: Motion for election to the Court of the Aligarh Muslim University.

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया):** श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ -

" कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड 1 और खंड 2 के उप-खंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-clause (xxiv) of clause 1 and clause 2 of Statute 14 of the Statutes of Aligarh Muslim University, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, six members from amongst themselves to serve as members of the Court of the Aligarh Muslim University, subject to the other provisions of the said Statutes."

*The motion was adopted.*

**12.16 hrs**